प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 26 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 2 – 9 जुलाई 2018 मूल्य पांच रूपए

# अब ठेकेदारों से मांगे जा रहे पैसे

**शिमला/शैल।** खली प्रकरण में निश्चित रूप से सरकार की फजीहत हुई है और इसमें सबसे बड़ा योगदान शीर्ष तन्त्र का रहा है। खली का इवैन्ट सूचित खेल सूची में नही आता है। यह जानकारी सरकार को बजट सत्र के दौरान ही हो गयी थी। इस जानकारी के बाद जयराम के दो मन्त्री पंजाब में खली की अकादमी देखने गये थे इसके बाद खली मनाली आये वहां उन्होने एक आयोजन में भाषण भी दिया। इस भाषण में खली ने भाजपा की जमकर तारीफ की और कांग्रेस को खुब कोसा। खली के इस भाषण के बाद यह संकेत भी उभरे कि वह कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसी संकेत संदेश को आगे बढ़ाते हुए खली के आयोजन का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने के प्रयास भी हुए। लेकिन जब यह प्रयास सफल नही हुए तब यह ऐलान भी हो गया कि सरकार इसमें कोई योगदान नही कर रही है बल्कि मण्डी के खेल मैदान के किराये का बिल भी खली को थमा दिया गया। सरकार के सहयोग न करने के फैसले से खली इस कदर आहत हुए कि उन्होने यहां तक कह दिया कि उनके पास तो कुर्सीयां लगाने तक के पैसे भी नही बचे हैं। उन्होने स्वयं रिंग में न उतरने तक की घोषणा कर दी और पूरा शो मुफ्त में दिखाने का फैसला ले लिया। शो मे लोगों की भीड़ जुटाने के लिये खली ने मण्डी और सुन्दरनगर रोड़ शो तक किये। इस आयोजन में मुख्यमन्त्री को बतौर मुख्य अतिथि होना प्रचारित किया गया था। जब सरकार अधिकारिक तौर पर खली के शो को आर्थिक सहायता देने का प्रयास कर रही थी और शीर्ष प्रशासन वरिष्ठ अधिकारियों से बैठकें करके आयोजन को सफल बनाने में लग गया था तथा पूरा मामला मन्त्रीमण्डल की बैठक तक पंहुचा दिया गया। लेकिन मन्त्रीमण्डल इस पर फैसला नही ले पाया। सरकार शो के लिये कभी हां तो कभी न की दुविधा में फस गयी थी इसी बीच सरकार के अनिर्णय और प्रयासों पर कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पूरे दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ऊना में पत्रकार वार्ता करके सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया।

मुकेश अग्निहोत्री की पत्रकार वार्ता के बाद खली और सरकार के लिये यह आयोजन करवाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। खली ने प्रदेश सरकार के प्रत्यक्ष सहयोग के बिना भी यह आयोजन पूरी सफलता के साथ कर दिया। इस आयोजन के लिये खली ने अपने साधनों से कितना धन जुटाया और सरकार ने अप्रत्यक्षत: कितना आर्थिक सहयोग दिया है इसका पूरा खुलासा तो समाने नही आया है लेकिन इसके लिये सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं। यह सामने आ गया है कि लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों से पैसा इकट्ठा कर रहा है। इसके लिये ठेकेदारों को एक संदेश भेजा गया है कि वह पांच हजार का चैक मण्डी मित्रमण्डल के नाम भेजें। सन्देश में साफ कहा गया है कि e in c का

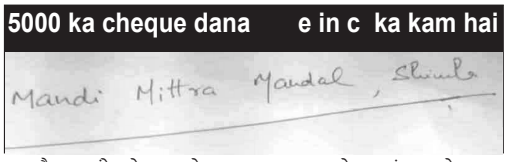


काम है। इस संदेश से स्पष्ट हो जाता है कि ई इन सी को इस स्तर के निर्देश ऊपर से आये होंगे। लोक निर्माण विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमन्त्री के पास है। विभाग में हजारों ठेकेदार हैं कुछ की निष्ठायें भाजपा के साथ हो सकती हैं तो कुछ की कांग्रेस के साथ भी। इन्ही ठेकेदारों के माध्यम से यह संदेश मीडिया तक पंहुचा है। पांच हजार रूपये का चैक मण्डी मित्रमण्डल के नाम मांगा गया है इसलिये इसको खली के आयोजन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है लेकिन इस तरह से वाकायदा संदेश भेजकर यह पैसा मांगा जा रहा है यह पूरे प्रशासन पर एक गंभीर सवाल खड़े करता है और यह एक बड़ा मुद्दा बन जाये इस संभावना से इन्कार नही किया जा सकता। इससे प्रशासन की प्रवक्ता और नीयत दोनो पर ही सवाल खड़े होते हैं।

खली के आयोजन तक सरकार के पास इतना पर्याप्त समय था कि वह इसके लिये खेल नियमों में संशोधन कर सकती थी। मल्लयुद्ध देश की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं और राज्याश्रित थे। आज प्रदेश के गांव -गांव में होने वाली छिंज इसी का अपभ्रंश रूप है। इस सबको एक बड़े फलक पर लाकर एक बड़ा रूप दिया जा सकता था। लेकिन इस दिशा में एकदम वैचारिक शून्यता का ही परिचय दिया गया। इसी तरह की वैचारिकता जंजैहली प्रकरण में सामने आयी। अब मण्डी के बल्ह क्षेत्र में प्रस्तावित एयर पोर्ट पर जिस तरह का शेष बल्ह के निवासियों के सामने आया है वह भी इसी दिशा में संकेत करता है। सेवानिवृत अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन को स्टडी लीव दिया जाना एकदम अपराध की श्रेणी में आता है। एचपीसीए के प्रकरण में भी सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठने जैसी स्थिति बन गयी है। इस मामले का मूल पक्ष कि एच पी सी ए सोसायटी है या कंपनी आरसीएस के पास पिछले पांच वर्षों से लंबित चला आ रहा है। अब आरसीएस के पास 20 जुलाई को पेशी लगी है। यहां डा. अजय शर्मा को आरसीएस लगाकर ऐसी कानूनी दुविधा में खड़ा कर दिया गया है कि इस मामले की सुनवाई करना उनके लिये संभव नही होगा। वहां फिर अगली पेशी लगना ही विकल्प बचता है और इस तरह न चाहते हुए भी लम्बे समय तक यह मामला और लटक जायेगा। ऐसे और भी कई मामले ऐसे हैं जहां सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो जाती है।

इस समय प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक सदस्यों के दोनों पद लम्बे अरसे से खाली चले आ रहे हैं लेकिन इन पदों को भरने में सरकार की ओर से कोई ठोस प्रयास नही किये जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह सरकार की प्राथमिकता का विषय ही नही रह गया है। कर्मचारी न्याय के लिये परेशान हो रहे हैं बल्कि इस कदर रोष उभर रहा है कि यदि सरकार ट्रिब्यूनल के पक्ष में नही हैं तो इसे बन्द करके कर्मचारियों के मामले फिर से उच्च न्यायालय को ही भेज दिये जायें। यह मांग कभी भी उठ सकती है। इन सारे मामलों का लोकसभा चुनावों पर असर पडेगा यह तय है।

# राज्य सहकारी बैंक ने दी कर्जदार को राहत और गारन्टर को सज़ा

**शिमला/शैल।** क्या कर्ज लेने वाले की संपत्ति को अटैच करने के बावजूद उसकी नीलामी से पहले कर्जदार की गारंटी देने वाले की संपत्ति को नीलाम किया जाना चाहिये? यह सवाल राज्य सहकारी बैंक की चम्बा शाखा में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बैंक से एक व्यक्ति प्रदीप, सुपुत्र प्यारे लाल ने एससीएसटी कारपोरेशन के माध्य से वर्ष में का ऋण लिया। इस ऋण के लिये उसकी गारंटी भी उसके ससुर ने ही दी। लेकिन ससुर उत्तम चन्द ने इसकी जानकारी अपने परिवार तक को नही दी। दुर्भाग्यवश ऋण लेकर जो टूक टाटा 709 खरीदा था उसका छ: माह बाद ऐक्सीडैण्ट हो गया और इस दुर्घटना में टूक का पूरा नुकसान हो गया। इस नुकसान के कारण कर्ज की किश्तों की अदायगी नही हो पायी। दुर्घटना के बाद इन्शोयरैन्स से क्लेम मिलने में भी कुछ समय लग गया। बैंक ने ऋण वसूली के लिये कर्जदार और गारंटी देने वाले दोनो के खिलाफ कारवाई शुरू की। यह कारवाई शुरू होने पर कर्जदार ने अदालत से लिखित में आग्रह किया कि जब तक क्लेम नही मिल जाता है इस कारवाई को रोक दिया जाये। यह भी आग्रह किया कि कर्ज वसूली के लिये उसकी गारंटी देने वाले के खिलाफ कारवाई न की जाये क्योंकि उसके अपने पास कर्ज चुकता करने के लिये पर्याप्त संपत्ति है।

इस पर कुछ समय के लिये वसूली की कारवाई स्थगित कर दी गयी। फिर इन्शोयरैन्स से 3.50 लाख क्लेम भी मिल गया जो सीधा बैंक को अदा कर दिया गया लेकिन इससे पूरा कर्ज चुकता नही हो पाया। संयोगवश इसके बाद गारंटी देने वाले की मौत हो गयी। उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति उसके बच्चों के नाम आ गयी। लेकिन तब तक भी परिवार को यह जानकारी नही हो पायी कि इस संपत्ति की गारंटी देकर प्रदीप कुमार ने बैंक से ऋण लिया है और उसकी अदायगी नही हुई है। यह जानकारी इसलिये बाहर नही आ पायी क्योंकि ऋण लेने वाला चम्बा की जिला अदालत में पैटीशन राईटर है और अपने प्रभाव के कारण किसी को भी यह जानकारी नही होने दी। क्योंकि गारंटी देने वाला भी पढ़ा लिखा नही था केवल उर्दु में दस्तखत करने जानता था। अब जब बच्चों की संपत्ति की इस कर्ज गारंटी के कारण नीलामी की नौबत आ गयी तब परिवार को पूरे मामले का पता चला। परिवार ने अपने नाबालिग बच्चों के माध्यम से संपत्ति की नीलामी पर रोक लगवायी है। इस रोक के बाद कर्जदार की संपत्ति के बारे में जानकारी हासिल करके उसे बैंक और अदालत के संज्ञान में लायी है। इस संज्ञान के बाद कर्जदार की संपत्ति भी अटैच हो गयी है। यह संपत्ति चम्बा शहर मे ही स्थित है और इसको नीलाम करके सारा ऋण चुकता हो जाता है लेकिन यह संपत्ति 16.2.2010 को अटैच हो गयी है।

लेकिन यह हो जाने के बावजूद भी बैंक ऋण धारक की संपत्ति को नीलाम करवाने के लिये आवश्यक कदम उठाने की बजाये गारंटी रखी हुई संपत्ति को ही नीलाम करवाने के कदम उठा रहा है। बैंक की इस बेइन्साफी के बारे में बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष हर्ष महाजन से भी इन लोगों ने लिखित में शिकायत की थी जिस पर आश्वासन के अतिरिक्त और कुछ हासिल नही हुआ है। एससीएसटी कारपोरेशन से भी इस बारे शिकायत की गयी लेकिन वहां भी कोई कारवाई नही हुई। बैंक के इस व्यवहार के कारण परिवार तनाव में चलन रहा है। परिवार बैंक से यह निवेदन बार बार कर चुका है कि यदि कर्जदार की अटैच की हुई संपत्ति की नीलामी कर्ज की पूरी अदायगी नही हो पाती है तो वह शेष बचे कर्ज को भरने के लिये तैयार हैं। लेकिन उनके इस आग्रह को बैंक स्वीकार नही कर रहा है। ऋण नियम साफ है कि यदि कर्जधारक की संपत्ति से कर्ज की पूरी वसूली नही हो पाती है तब गारंटी देने वाले की संपत्ति की नालीमी की नौबत आती है। बैंक स्थापित नियम और मानवीय दृष्टिकोण को नजरअंदाज करके इस परिवार को क्यों कोई आत्मघाती कदम उठाने पर बाध्य कर रहा है यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या बैंक जंगल राज की ओर बढ़ रहा है?

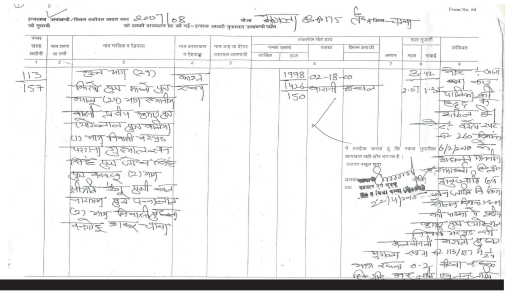

# 4000 प्रसिद्ध व्यक्ति शिक्षा उत्सव में होंगे शामिल

**शिमला/शैल।** प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने व सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक भागीदारी, अध्यापकों, राजनीतिक नेतृत्व, अधिकारियों, सफल व्यक्तियों व गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा। 4000 प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित प्रतिनिधित्व व विशेषज्ञता रही है, प्रदेश के 15000 स्कूलों में आने वाले महीनों के दौरान आयोजित होने वाले शिक्षा उत्सव में भाग लेंगे।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उत्सव में सम्बन्धित स्कूलों की छः गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रीत किया जाएगा। इस सारे परिदृश्य में स्कूल प्रबन्धन कमेटी को शामिल किया जाएगा और सम्बन्धित स्कूल की बेहतरी के लिए सुझाव मागे जाएंगे। अभिभावकों के साथ वार्तालाप कर उन्हें भी स्कूल की बेहतरी के लिए शामिल किया जाएगा। समाज में सफलता पाने वाले स्कूल के पूर्व छात्र स्कूल का भ्रमण करेंगे और विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों से वार्तालाप करेंगे। ये प्रसिद्ध व्यक्ति विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर कैरियर चुनने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इस उत्सव को नियमित गतिविधियों की तरह आयोजित किया जाएगा और इसे सफाई, सड़क सुरक्षा, नशामुक्ति जागरूकता अभियानों व वनरोपण जैसी अन्य सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। सचिव शिक्षा डॉ. अरूण शर्मा ने शिक्षा उत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिभागियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।

# प्लास्टिक व थर्मोकोल की कटलरी पर प्रतिबन्ध तीन माह बाद होगा प्रभावी

**शिमला/शैल।** राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में साफ-सुथरे पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में प्लास्टिक व थर्मोकोल की कटलरी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की थी। यह निर्णय आवश्यक था, लेकिन पाया गया है कि पॉलिथीन बैग पर पूर्ण प्रतिबन्ध के बावजूद थर्मोकोल कप, प्लेटें, गिलास व चमच आदि अन्य प्लास्टिक सामग्री अभी भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार को वांछित परिणाम प्राप्त नही हुए हैं।

इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि दुकानदार, रेहड़ी-फेरी वाले, थोक विक्रता, फुटकर विक्रेता इत्यादि सहित कोई भी व्यक्ति थर्मोकोल कटलरी अर्थात कप, प्लेटें, गिलास, चमच व हिमाचल प्रदेश जीव-अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 में संलग्न अनुसूचि में सूचिबद्ध जीव-अनाशित सामग्री से किसी भी रूप में निर्मित खाना परोसने व उसका उपयोग करने के लिए प्रयुक्त किसी वस्तु का उपयोग नही कर सकेगा। प्रवक्ता ने कहा कि उलंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, वाणिज्यिक संस्थान जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, कार्यालय, होटल, दुकानें, मिठाई की दुकानें, ढाबे, धार्मिक संस्थाएं, औद्योगिक स्थापन, प्रीतिभोज हाल आदि उपरोक्त अधिनियम में दिखाए गए अनुबन्धों के अनुसार दण्ड के पात्र होगे। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी, बल्कि प्रदेश में इको पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होने कहा कि थर्मोकोल कटलरी पर प्रतिबन्ध अधिसूचना के राजपत्र (ई.गैजेट, हिमाचल प्रदेश) में प्रकाशित होने की तिथि के तीन महीने बाद लोकहित में पूरे प्रदेश में लागू होगा, ताकि इस अवधि के दौरान निर्माता, स्टॉकिस्ट दुकानदार अपने स्टॉक को बेच सकें और उन्हें कोई भी वित्तीय हानि न हो।

# मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले का किया स्वागत

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां केन्द्र सरकार द्वारा देश के किसानों की आर्थिकी में वृद्धि करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों के हित प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणा वृद्धि करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों की पिछले दो दशकों से चली आ रही मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे देशभर के 12 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से केन्द्रीय बजट 2018-19 में घोषित वायदा पूरा हुआ है।

ठाकुर ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह फैसला मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि धन का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि कर 1550 रुपये से बढ़ाकर 1750 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1288 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई जबकि रागी की न्यूनतम समर्थन मूल्य में 997 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इस प्रकार ज्वार के समर्थन मूल्य को 1700 रुपये से बढ़ाकर 2430 रुपये किया गया है। इस प्रकार ज्वार के 'हाईब्रिड' समर्थन मूल्य की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मूंग के न्यूनतम मूल्य में 1400 रुपये की वृद्धि कर 5575 रुपये से 6975 किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के किसान भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज भी 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए है।

# स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं की अह्म भूमिका

**शिमला/शैल।** स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है तथा सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता) कार्यक्रम को प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान के साथ-साथ प्रदेश व केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना है ताकि इन कार्यक्रमों से लोग लाभान्वित हो सके।

विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश में घर-द्वार पर गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में वर्तमान में 7829 आशा कार्यकर्ता अपना योगदान दे रही हैं। सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। आशा कार्यकर्ता प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिनमें किशोर स्वास्थ्य, गैर संक्रमणीय रोग तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से कार्य निष्पादन पर मानदेय प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा हालाकि आशा कार्यकर्ताओं को एक हजार रुपये मानदेय देने की घोषणा की गई थी। परन्तु इस पर अमलीजामा नही पहनाया गया, परन्तु वर्तमान सरकार ने न केवल आशा कार्यकर्ताओं को प्रदेश बजट से एक हजार रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित बनाया बल्कि इस राशि को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये किया है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
" SHORT NOTICE INVITING TENDER'

Sealed item rate tenders on forms 6 & 8 are invited by the **Executive Engineer H.P.PWD., Baijnath** for the below mentioned work from the approved and eligible contractors/Firms as per enlistment rule Rule-2015 in H.P.PWD., as class D ,C and class ABC and D for Bitumen works so as to reach in his office on or before **02.08.2018 up to 10.30 A.M.** and will be opened on the same day at **11.00 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be had from his office against cash payment (Non refundable) up to **4.00 P.M. on 01.8.2018.**The application for issue of tender forms shall be received up to **12.00 Noon on 31.07.2018.**The Contractor enlisted in appropriate class can tender for his own class as well as one step below as per rule 8.1 and Rule 9.0 of enlistment contract Rule 2015.**The earnest money in the shape of National Saving certificate/Time Deposit accounts/Saving Accounts in any Post Office/Bank in H.P. duly pledged in favour of the XEN H.P.PWD., Baijnath must be accompanied with the tender documents.** Conditional tenders and the tenders received without earnest money as mentioned above will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for **120 days.** The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or to drop the proposal of the tender without assigning any reasons.

**Work No.1.** Construction of N.G.O. Residential Colony at Baijnath (SH: Construction of Type-II 9 unit including water supply and sanitary Installation and E.I.)( SW: Construction of Balance protection work block 'A' building). **Estimated Cost Rs. 4,41,669/- Earnest Money Rs. 8900/- Time limit :- Two Months. Cost of Tender form Rs.350/-**

**Work No.2.** Construction of N.G.O. Residential Colony at Baijnath (SH: Construction of Type-II 9 unit including water supply and sanitary Installation and E.I.) (SW: Construction of Balance protection work block 'B' building ,steel railing brick stone mesnary steeps plastering and painting). **Estimated Cost Rs. 2,86,569/- Earnest Money Rs. 5800/- Time limit :- Two Months. Cost of Tender form Rs.350/-**

**Work No.3**. Construction of Pandit Sant Ram Degree Collage at Baijnath Distt. Kangra (SH: Balance Work for the C/O Boundary wall B/Side of collage building at RD 0/0 to 0/097.40). **Estimated Cost Rs. 3,32,062/- Earnest Money Rs. 6700 Time limit :- TWo Months. Cost of Tender form Rs.350/-**

**Work No.4.** Special Repair to Civil Hospital at Baijnath Distt. Kangra H.P. (SH: Providing and applying Distempering white washing and Painting work etc. **Estimated Cost Rs. 4,62,457/- Earnest Money Rs. 9300/- Time limit :- One Months. Cost of Tender form Rs.350/-**

**Terms and conditions:-**

1. The contractor should be registered as dealer under H.P. GST Tax Act. 2018 and also produce the Tin number, H.P. sales Tax clearance certificate from the Excise and Taxation Department.
2. The Pan Number, latest Income Tax clearance certificate and EPF No (Where applicable) duly attached with the application.
3. The contractor will have to produce the attested copy of his/their enlistment/renewal at the time of submitting application for issue of tender form failing which their application will not be entertained.
4. In case of holiday on the day of opening of tenders, the same will be opened on the next working day on the same time and venue.
5. The application form should accompany the earnest money in shape of FDR/NSC duly pledged in favour of Executive Engineer, PWD Baijnath otherwise no forms will be issued .
6. The contractor will also have to attach the labour employer license from the labour office with the application.
7. Tender not received on prescribed form and manner shall not be considered and will be liable for rejection straightway.
8. The contractor shall be responsible for rectifying defects noticed within One year from the date of completion of the work and the portion of security deposit relating to as phaltic Work shall be refunded after the expiry of this period.
9. The contractor shall have all required machinery such as Truck/Tipper, Mixture, water tanker Vibrator etc or should submit the undertaking/ affidavit regarding providing to him such manchinery of owner's having such machinery.
10. The Contractor shall not have more than Two works in hand and in this regard alongwith application shall submit an under taking viz he will get complete the works in hand before award of work with in schedule time.

Adv. No.-1345/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORK DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on the form NO 6 &8 are invited by the ExecutiveEngineer Nalagarh Division HP PWD Nalagarh on behalf of the Governor Of Himachal Pradesh From the approved and eligible contractors enlisted in HP PWD, in the appropriate class for the work mentioned below in the presence of contractor or their authorized representative.

Time schedule of tender:-

(1) The last Date & time of receipt of Application for tender Form — 09-08-2018 up to 11.00 A.M.
(2) The last date of issue of tender form: — 09-08-2018 up to 4.p.m
(4) The date of opening of tender: — 10-08 -2018 up to 10.30 A.M

Earnest money in the shape of National Saving certificate/ Time Deposit accounts/ Saving accounts in any of the Post Office/ Bank in H.P duly pledged in f avour of the Xen HP PWD Nalagarh must be accompanied with the tender documents.

The conditional tender and the tender received Without earnest money will be summarily rejected. The Executive Engineer reserves right to accept or reject any or all tenders ,the tenders shall be kept open for 120 days.

The contractor should be registered as dealer Under HP sale Tax Act 1968 and also produce sale tax clearance certificate from the

| Sr.No. | Name of Work | Estimated Cost | Earnest money | Time | Cost of form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of administrative Block under Medernization of Police Force Scheme at Kishanpura Tehsil Baddi ( SH C/O Retaining wall for site development RD 0/0 to 0/038 | 496791 | 10,000 | One month | 350/- |
| 2. | Restoration of Rain damages on Swarghat Ramshehar road K.M 0/0 to 23/200 ( SH R/ wall in wire crete at Rd 16/050 to 16/080 | 547305/- | 8000/- | One month | 350/- |
| 3. | Restoration of rain damages on swarghat Ramshehar road k.M 0/0 to 23/200 ( SH R/ wall in wire crete at Rd 16/800 to 16/840 ) | 7,30,130/- | 11,000/- | One month | 350/- |

**Terms & Conditions :-**

1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. Earnest money should be accompanied with application application without earnest money will not be entertained.
3. The photocopy of Pan Number should be attached with the application other wise tender form will not be issued.
4. The photocopy of Sale Tax number should be attached with the application other wise tender form will not be issued.
5. The photocopy of Valid enlistment/ registration of contractor should be attached with the application other wise tender form will not be issued .
6. The contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two work in hand.
7. The Contractor will have to submit the proof of ownership of Machinery .

Adv. No.-1409/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

# प्रदेश के 50 गांवों को डिजिटल गांव बनाया जाएगा:रवि शंकर प्रसाद

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के उद्देश्य से हिमाचल

सरकार ने लोगों को सूचना प्रोद्यौगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के साथ शिमला इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की आधारशिला रखे जाने के उपरान्त अपने सम्बोधन में यह बात कही। यह केन्द्र शिमला के समीप मेहली में स्थापित किया जाएगा।

जय राम ने कहा कि इंक्यूबेशन की सुविधा सहित इस पार्क को 14000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इस पार्क में लगभग 15 से 20 स्टार्टअप कम्पनियों को स्थान उपलब्ध होगा और पांच वर्षों की अवधि में प्रत्यक्ष रूप से 300 से 400 आईटी व्यवसायियों को रोज़गार मिलने के साथ-साथ इससे लगभग चार गुना रोज़गार अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में गगल हवाई अड्डे के समीप एक अन्य एसटीपीआई स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। सरकार ने अपने प्रारम्भिक सौ दिनों के लिए दस लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिनमें से नौ पहले ही हासिल कर लिए गए हैं और दसवां लक्ष्य इस केन्द्र की आधारशिला रखे जाने के बाद पूरा हो गया है।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि एसटीपीआई इकाईयों ने निर्यात में उल्लेखनीय विकास किया है। देश में आईटी निर्यात वर्ष 1992-93 में 52 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर3,50,680 करोड़ रुपये हो गया है, इससे यह साबित होता है कि एसटीपीआई ने ब्रांड इंडिया बनाने और देश को विश्व का सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा एसटीपीआई ने देश के टीचर 2 व 3 शहरों में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने में भी निर्णायक भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नज़रिया समावेशी डिजिटल भारत का है। जन धन योजना के अंतर्गत 31 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं और गरीब लोगों को उनके खातों में सीधा लाभ हस्तांतरण किया जा रहा है। सरकार ने पिछले तीन वर्षों की अवधि में सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 90 हजार करोड़ रुपये की बचत की है। उन्होंने कहा कि देश के छोटे नगरों में पिछले चार वर्षों के दौरान 91 बीपीओ स्थापित किए गए हैं, जिससे युवाओं को अपने घरों के समीप रोज़गार प्राप्त करने में सहायता मिली है। उन्होंने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में और अधिक बीपीओ स्थापित किए जाएंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार ने जब सत्ता संभाली थी उस समय देश में केवल दो मोबाईल उत्पादक फैक्ट्रियां थीं, जिनकी संख्या बढ़ कर अब 120 हो गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जलवायु इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनुकूल है और राज्य को देश के प्रमुख इलेक्ट्रानिक उत्पादक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

उन्होंने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िला अस्पतालों को ई-अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने एनआईसी को इस दिशा में तुरन्त कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मंडी में शीघ्र ही नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंफारमेशन टैक्नालॉजी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के 50 गांवों को डिजिटल गांव बनाया जाएगा।

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि शिमला में एसटीपीआई इंक्यूबेशन सुविधा होने से यह आईटी/ आईटीईएस/ ईएसडीएम इकाईयों के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। इससे इंक्यूबेशन स्पेस, हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन, निर्बाध डेटा क्नेक्टिविटी और निर्यात के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे सूचना प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

# सरकार शिमला-धर्मशाला स्मार्ट सिटी को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध

**शिमला/शैल।** शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला व धर्मशाला स्मार्ट सिटी को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा और सम्बन्धित क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियां निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्मार्ट सिटी के विकास तक सीमित नहीं है बल्कि सरकार सभी शहरी क्षेत्रों के दीर्घकालीक एवं सत्त विकास के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है।

शहरी विकास मंत्री स्मार्ट सिटी परियोजना के सन्दर्भ में विभिन्न कम्पनियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सम्बोधित कर रही थी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को विश्व के समक्ष एक पसन्दीदा गंतव्य के तौर पर प्रस्तुत करेगी। राज्य के प्रत्येक नागरिक को

नगर निगम, स्थानीय निकाय और शहरी विकास से सम्बन्धित दिन प्रति दिन आने वाली समस्याओं का समाधान नागरिक अनुकूल और इंटरैक्टिव मंच जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशन (ई-एप्प) के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार शहरी विकास के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और इन एप्स के द्वारा प्रतिपुष्टि भी करेगी।

# जगदीश चौहान बने सर्व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष

**शिमला/शैल।** सर्व कर्मचारी पैन्शनर, श्रमिक, युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा की गतिविधियों में इन दिनों फिर से बढ़ौत्तरी आ गयी है। इसका संकेत मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा द्वारा इस संगठन में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व सलाहकार एवम् प्रधान जगदीश चन्द चौहान को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रिंटिंग एवम् स्टेशनरी विभाग के पूर्व कर्मचारी नेता थानेश्वर नेगी को संगठन मन्त्री तथा राजस्व विभाग के देवी सिंह चौहान सचिव मनोनीत करने से सामने आया है। स्मरणीय है कि गोपाल दास वर्मा अपने सेवाकाल के दौरान प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक प्रभावी शीर्ष नेता रह चुके हैं। इस सर्व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन उन्होंने अपनी सेवानिवृति के बाद किया है और अब यह संगठन प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारियों का एक प्रभावी मंच बनने के प्रयास में जुट गया है।

गोपाल दास वर्मा पिछले लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में भी काफी सक्रिय रहे हैं। अब फिर से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए वर्मा ने इस संयुक्त मोर्चा की गतिविधियों को बढ़ावा देने की नीयत से ही इसमें पूर्व

कर्मचारी नेताओं को जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। आने वाले चुनावों में इस मोर्चा की भूमिका कितनी और क्या रहती है इस पर अभी से कुछ लोगों की नजरें लग गयी हैं।

# वन विभाग में होगी फायर वाचर की भर्ती : वन मंत्री

**शिमला/शैल।** वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक वन अच्छादित क्षेत्र को 27 प्रतिशत से 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग इस लक्ष्य को निर्धारित अवधि से पूर्व ही हासिल कर लेगा। वन मंत्री वन रक्षकों के द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

वन मंत्री ने कहा कि वन रक्षकों की वन सम्पदा के संरक्षण में अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि वन रक्षकों को चरणबद्ध तरीके से हथियार उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें हथियार खरीदने के लिए 12000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इन हथियारों के लाईसेंस वन रक्षकों के नाम से होंगे। उन्होंने कहा कि वन सम्पदा को फायर सीजन के दौरान बचाने के लिए वन रक्षकों को सुरक्षा यंत्रों जैसे फायर प्रूफ जैकेट, गल्बज व बूट इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फायर लाइन को वर्तमान 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर किया जाएगा और अगले वर्ष क्राउन फायर से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग से निपटने के लिए विभाग द्वारा फायर सीजन के दौरान किराए पर वाहन लेने को भी मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जंगलों को अग्नि से बचाने के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

वन मंत्री ने कहा कि चील की पत्तियों से बनने वाले उत्पादों के लिए प्रदेश में उद्योग लगाए जाएगें। उद्योग लगाने वाले को सरकार उद्योग लागत का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा फायर वाचर की भी भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बन्दरों की समस्या से निपटने के लिए व्यापक बन्दर नसबन्दी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को वृत स्तर पर कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वन कर्मियों के लिए वृत स्तर पर जिम सुविधा उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की।

अतिरिक्त प्रधान सचिव वन तरूण कपूर ने इस अवसर पर कहा कि वन रक्षक विभाग की रीड हैं क्योंकि विभाग की योजनाओं को धरातल पर कार्यान्वित करने में वन रक्षकों की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, उद्यान तथा पन विद्युत की अपार सम्भावना है तथा इन सभी कार्य में वन विभाग अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने वन रक्षकों से विकासात्मक कार्य के साथ-साथ पौधरोपण व वन सुरक्षा कार्य में भी बढ़चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉ. जी.एस. गोराया ने इस अवसर पर वन रक्षकों को कार्यशाला में दी गई जानकारी बारे बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गर्मियों के मौसम में सामान्य से तीन डिग्रो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और मौसम भी अधिक समय तक शुष्क रहा, जिसके कारण वनों में आग की अधिक घटनाएं घटी। उन्होंने कहा कि यह सुखद विषय रहा है कि वन अग्नि के लिए जागरूकता अभियान के चलते स्थानीय लोगों व वन रक्षकों ने मिलकर आग बुझाने के कार्य से इन घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि वन आग की अधिकतर घटनाओं को 12 से 24 घण्टों के बीच ही काबू पा लिया था।

सम्मेलन में प्रदेश के 13 वन वृतों के लगभग 200 वन रक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान वन रक्षकों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई।

# सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 10%या 4000 रुपये प्रति किलोवाट का उपदान

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए घरेलू उपभोक्ताओं, संस्थानों सोसायटी एवं न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत तथा सामाजिक क्षेत्रों में भवनों की छत पर स्थापित किए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल 10 मैगावाट क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संयंत्र की कुल लागत का 10 प्रतिशत या 4000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जो भी कम हो, राज्य उपदान प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह उपदान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपदान के अतिरिक्त होगा।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत उपदान की राशि हिम ऊर्जा के माध्यम से सीधे तौर पर सम्बन्धित उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

# प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 17039 मामलों का किया निपटारा

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद 30 जून, 2018 तक ट्रिब्यूनल में 26235 मूल आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 17039 मूल आवेदनों पर निर्णय लिया गया है।

ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने कहा कि उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 513 अवमानना याचिकाओं, 30 समीक्षा याचिकाओं, 79 निष्पादन याचिकाएं और 7195 विविध याचिकाओं का निपटारा भी किया गया।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से भी 6479 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1482 मामले निपटा दिए गए हैं।

धन होने पर अल्प प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण हो जाते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

# भाजपा के लिये कसौटी होगा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

केन्द्रशासित राज्य दिल्ली की चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के वर्चस्व को लेकर चल रही लड़ाई में अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद कानूनी रूप से स्पष्ट हो गया है कि उपराज्यपाल मन्त्रीमण्डल के सर्वसम्मत फैसलो को मानने के लिये बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली सरकार मन्त्रीमण्डल के फैसलों की जानकारी तो एलजी को देगी लेकिन जानकारी देने का अर्थ यह नही होगा कि इन फैसलों पर एलजी की सहमति और स्वीकृति भी आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश पर आधारित पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने 535 पन्नो के फैसले मे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जनता द्वारा चुनी गयी सरकार के अधिकार सर्वोपरि है। पिछले दिनों जिस तरह से कई बार केजरीवाल केन्द्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने और एलजी हाऊस में ही धरने पर बैठ गये थे इस तरह के सारे कृत्यों को भी सर्वोच्च न्यायालय ने अराजकता करार देते हुए इस सबकी भी निन्दा की है। कुल मिलाकर इस ऐतिहासिक फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि केन्द्र सरकार उप राज्यपालों के माध्यम से केन्द्रशासित राज्यों की सरकारों को परेशान करने /अस्थिर करने का प्रयास नही कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सर्वत्र सराहना की गयी है और इस फैलसे से एक बार फिर न्यायपालिका पर आम आदमी का भरोसा बढ़ा है जो कि अब अन्यथा टूटने लग पड़ा था। लेकिन इस फैसले पर जिस तरह की प्रतिक्रिया भाजपा की उसके प्रवक्ता डा. पात्रा के माध्यम से आयी है और इसी तरह की प्रतिक्रिया एलजी और दिल्ली सरकार की वरिष्ठ अफसरशाही की आयी है उससे लग रहा है कि यह टकराव इस फैसले से ही खत्म होने वाला नही है। क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली सरकार के आईएएस अधिकारियों का काम पर न आने का मामला अदालत तक पहुंच गया था तथा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के बीच अभद्र व्यवहार का प्रकरण पुलिस और अदालत तक जा पहुंचा है उससे जो तनाव और अविश्वास पनपा है वह अपरोक्ष में इन प्रतिक्रियाओं के रूप में सामने आया है। इसी के साथ यह भी खुलकर स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में जो कुछ वरिष्ठ अफसरशाही और एलजी कर रहे थे वह सब केन्द्र द्वारा ही प्रायोजित था। तीन मसलों भूमि, पुलिस और व्यवस्था पर ही केन्द्र फैसले ले सकता है। शेष सारे विभागों पर दिल्ली सरकार का फैसला ही सर्वोपरि होगा। विजिलैन्स भी राज्य सरकार का ही एक विभाग होता है और इस नाते सरकार कोई भी मामला जांच के लिये विजिलैन्स को भेज सकती है। अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी मुख्यमन्त्री से ही फाईनल होगी। अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर पर सरकार का अधिकार होगा एलजी का नही। संभवत: इसी सबको देखते हुए अधिकारी दुविधा में आ गये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से दिल्ली सरकार का एलजी पर वर्चस्व प्रमाणित हो गया है। अब इस वर्चस्व को स्वीकार करना और उसे अधिमान देने के अतिरिक्त नौकरशाही के पास और कोई विकल्प नही रह गया है। इस फैसले से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी तथा केजरीवाल का व्यक्तिगत स्तर पर भी मान सम्मान बढ़ा है। आम आदमी पार्टी इस फैसले से मजबूत होगी इसमें किसी को भी शक नही होगा चाहिये। अगर इस फैसले के बाद भी केन्द्र सरकार एलजी और अफरशाही के माध्यम से फिर टकराव जारी रखते हैं तो इससे अब मोदी सरकार की साख ही राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावित होगी। यह सही है कि यह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही थी जिसने भाजपा को लोकसभा में इतना प्रचण्ड बहुमत मिलने के बाद ही दिल्ली प्रदेश के चुनावों में ''स्कूटर पार्टी '' तक सीमित कर दिया था। क्योंकि लोकसभा की जीत के बाद ही जिस तरह से कुछ भाजपा संघ नेताओं के मुस्लिमों को लेकर ब्यान आने शुरू हो गये थे उसी का नज़ला भाजपा पर गिरा था। आज तो चार वर्षो में और भी बहुत कुछ भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। लोकसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं इन चुनावों के लिये फिर से एक लोक लुभावन भावनात्मक मुद्दें की तलाश जारी है। इसके लिये जम्मू- कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने और एक देश एक-चुनाव की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। लेकिन यह सारी संभावनाएं अर्थहीन हो जायेंगी यदि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को अक्षरश: अधिमान न दिया गया। यह फैसला भाजपा के भविष्य को प्रभावित करेगा क्योंकि इससे यह सामने आयेगा कि पार्टी न्यायालय का कितना मान सम्मान करती है।

# फूलों की खेती से आएगी बहार

हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती को व्यापक बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपये की एक पंचवर्षीय महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिसके तहत प्रगतिशील कृषकों को फूलों की खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। हिमाचल पुष्प क्रान्ति नामक इस नई योजना के तहत इस वर्ष 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिसमें कृषकों को अनेक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है ताकि वे पुष्प खेती को अपनाने के लिए आगे आएं।

पुष्प क्रान्ति योजना को लागू करने के लिए बागवानी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है ताकि इस योजना को तुरन्त प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य फूलों की व्यावसायिक खेती और सजावटी पौधों की खेती को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करना और आने वाले समय में हिमाचल को एक पुष्प राज्य के रूप में उभारना है। योजना के तहत नियंत्रित वातावरण में ग्रीन हाउस तकनीक के माध्यम से फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तथा फूलों की उपज को राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की मण्डियों तक पहुंचाने के विशेष प्रबन्ध किए जाएंगे ताकि कृषकों को इसके बेहतर दाम मिल सकें।

हिमाचल में फूलों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायुगत परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके परिणामस्वरूप यहां कृषक इस लाभप्रद खेती को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। इस समय प्रदेश में लगभग 5 हजार कृषक 643 हैक्टेयर भूमि में फूलों की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं जिससे लगभग 87.25 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है।

**प्रदेश में गेंदा, गुलाब, ग्लैडियोलस, गुलदाउदी, कारनेशन, लिलियम, जरबैरा तथा अन्य मौसमी फूल उगाए जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय 'कट फ्लावर' का उत्पादन लगभग 16.74 करोड़ रुपये का हो रहा है। खुले बिकने वाले गेंदा और गुलदाउदी जैसे फूलों का यहां लगभग 123 47 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है।**

**पुष्प क्रान्ति योजना** में ग्रीन हाउस तथा अन्य नियंत्रित व्यवस्था जैसे शेड नेट हाउस स्थापित करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ताकि वे, विदेशी फूलों- जिनकी राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय मण्डियों में विशेष मांग रहती है, कि खेती कर सकें। प्रदेश में एलस्ट्रोमेरिया, लिमोनियम, आइरिस, ट्यूलिप तथा आर्किड जैसे फूलों की किस्मों को उगाने की व्यापक सम्भावनाएं हैं।

फूलों का विपणन, किसानों को प्रशिक्षण, उन्हें बढ़िया किस्म का बीज व बल्ब इत्यादि उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कृषकों को उत्पादन के पश्चात आने वाली विपणन चुनौतियों का सामना न करना पड़े और उन्हें बीज प्राप्त करने और परामर्श के लिए भटकना न पड़े। कृषकों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मिल रहे प्रोत्साहनों की तर्ज पर ही नई योजना में प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे ताकि कृषक इसका लाभ उठा सकें।

बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई योजनाएं चला रखी हैं जिसके कारण कृषक फूलों की खेती करने के प्रति प्रेरित हुए हैं। प्रदेश में इस समय छ: फूलों की नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जो शिमला के नवबहार और छराबड़ा, सोलन जिला के परवाणू, कुल्लू के बजौरा तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला तथा भटुआं में स्थित हैं। इसके अलावा चायल और पालमपुर में म डल फूल उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें गुणवत्ता वाली फूलों की किस्में उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

नई योजना में फूल उत्पादकों की सहकारी सभाएं बनाने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। इस समय प्रदेश में लगभग 8 फूल उत्पादक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। प्रदेश में फूलों की ढुलाई को पथ परिवहन की बसों में प्राधिकृत किया गया है, जिससे फूल उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। नई योजना के तहत निश्चित रूप से और अधिक कृषक फूलों की खेती के लिए आकर्षित होंगे और अर्थप्रद गतिविधियों से जुड़कर, यही फूल उनके जीवन में खुशियों की बहार लाएंगे।

# 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार की पहल

**मंत्रीमंडल ने 2018–19 सत्र के लिए खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतर को मंजूरी दी**
**मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1400 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि**
**सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1288 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि**
**रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 997 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि**
**समान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) ने किसानों की आय को जबरदस्त प्रोत्साहन देते हुए वर्ष 2018 - 19 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ौतरी को मंजूरी दी है।

सीसीईए का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्योंकि यह केंद्रीय बजट 2018 - 19 में घोषित एमएसपी को उत्पादन लागत के मुकाबले कम से कम 150 प्रतिशत रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे को पूरा करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने सभी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश की है जो काफी हद तक घोषित सिद्धांत के अनुरूप है। 2018 - 19 सत्र के सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में इस प्रकार बढ़ौतरी की गई - ’

| जिंस | किस्म | 2017-18 सत्र के लिए एमएसपी | 2018-19 सत्र के लिए अनुमोदित एमएसपी | वृद्धि | | लागत के मुकाबले रिटर्न* (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | शुद्ध | प्रतिशत | |
| धान | सामान्य | 1550 | 1750 | 200 | 12.90 | 50.09 |
| | ग्रेड ए | 1590 | 1770 | 180 | 11.32 | 51.80 |
| ज्वार | हाइब्रिड | 1700 | 2430 | 730 | 42.94 | 50.09 |
| | मालदंडी | 1725 | 2450 | 725 | 42.03 | 51.33 |
| बाजरा | - | 1425 | 1950 | 525 | 36.84 | 96.97 |
| रागी | - | 1900 | 2897 | 997 | 52.47 | 50.01 |
| मक्का | - | 1425 | 1700 | 275 | 19.30 | 50.31 |
| अरहड़(तुअर) | - | 5450 | 5675 | 225 | 4.13 | 65.36 |
| मूंग | - | 5575 | 6975 | 1400 | 25.11 | 50.00 |
| उड़द | - | 5400 | 5600 | 200 | 3.70 | 62.89 |
| मूंगफली | - | 4450 | 4890 | 440 | 9.89 | 50.00 |
| सूरजमुखी | - | 4100 | 5388 | 1288 | 31.42 | 50.01 |
| सोयाबीन | - | 3050 | 3399 | 349 | 11.44 | 50.01 |
| तिल | - | 5300 | 6249 | 949 | 17.91 | 50.01 |
| नाइजर सीड (काला तिल) | - | 4050 | 5877 | 1827 | 45.11 | 50.01 |
| कपास | मीडियम स्टेपल | 4020 | 5150 | 1130 | 28.11 | 50.01 |
| | लॉन्ग स्टेपल | 4320 | 5450 | 1130 | 26.16 | 58.75 |

* सभी लागत सहित जैसे मजदूरी, पशु श्रम/मशीन श्रम, भूमि का पट्टा/किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई लागत, अवमूल्यन एवं विविध कृषि खर्च और परिवार के सदस्यों के श्रम की लागत।

बजट 2018 - 19 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए जरूरी कृषि नीति में बदलाव करने का संकेत दिया गया था। बजट में बेहतर आय सृजन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया था। नाइजर सीड (काला तिल) न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1827 प्रति क्विंटल, मूंग के एमएसपी में 1400 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी बीज के एमएसपी में 1288 रुपये प्रति क्विंटल और कपास के एमएसपी में 1130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि अप्रत्याशित है।

अनाज एवं पोषक अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में शुद्ध वृद्धि के लिहाज से धान (सामान्य) के एमएसपी में 200 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार (हाइब्रिड) में 730 रुपये प्रति क्विंटल और रागी में 997 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि रागी (52.47 प्रतिशत) रागी में की गई है और उसके बाद दूसरे नंबर पर ज्वार हाइब्रिड (42.94 प्रतिशत) है। दलहन में मूंग के अलावा अरहड़ (तुअर) के एमएसपी में 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है जिससे लागत के मुकाबले रिटर्न में 65.36 प्रतिशत की वृद्धि होगी और उड़द के एमएसपी में लागत के मुकाबले रिटर्न में 62.89 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 220 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गइ है ताकि फसलों के मूल्य में अंतर को कम किया जा सके। इसी प्रकार बाजरे के एमएसपी में 525 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है ताकि लागत के मुकाबले रिटर्न में 96.97 प्रतिशत की वृद्धि हो सके।

भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य प्राधिकृत राज्य एजेंसियां पोषक अनाज सहित अन्य अनाजों के लिए किसानों को मूल्य समर्थन जारी रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), एफसीआई, स्मॉल फारमर्स एग्री - बिजनेस कंसोर्टियम एवं अन्य प्राधिकृत केंद्रीय एजेंसियां दलहन एवं तिलहन की खरीदारी जारी रखेंगे। भारतीय कपास निगम कपास के समर्थन मूल्य की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगा।

दलहन की खेती को बढ़ावा दिए जाने से भारत को पोषण असुरक्षा से निपटने, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार दलहन के एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों की प्रति एकड़ आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसके अलावा एमएसपी में वृद्धि से तिलहन के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इससे भारत को अपना आयात बिल घटाने में भी मदद मिलेगी। पोषक अनाजों के न्यूनतम मूल्य वृद्धि से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में सुधार होगा।

किसानों के लिए सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के अलावा सरकार ने किसानों के अनुकूल कई अन्य पहल की हैं।

➪ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दरें कम हैं सभी खरीफ फसलों के लिए यह कुल बीमित रकम का 2 प्रतिशत, सभी रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और नकदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। साथ ही मोबाईल फोन एवं रिमोट सेंसिंग जैसी स्मार्ट प्रौद्योगिकी के जरिए तत्काल आंकलन एवं दावों का जल्द निपटारा। सरकार ने फसल बीमा के लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है जो किसानों को उनके क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। साथ ही वे इसके जरिए अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की गणना कर सकेंगे।

➪ सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के क्रम में एक साझा ई - मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ 585 विनियमित बाजारों को एकीकृत करने के उद्देश्य से ‘नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट’ (एनएएम) के तहत देश भर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक योजना भी शुरू की है। प्रत्येक राज्य को तीन प्रमुख सुधारों की शुरूआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति, पूरे राज्य में एकल लाइसेंस की वैधता और बाजार में प्रवेश के लिए एकल शुल्क शामिल है। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य तलाशने में भी मदद मिलेगी। 23 मार्च, 2018 तक 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 बाजारों को ई - एनएएम प्लेटफार्म से पहले ही जोड़ा जा चुका है।

➪ मौजूदा एपीएमसी के विनियमित बाजार दायरे के बाहर किसानों को बाजार का विकल्प मुहैया कराने के लिए सरकार एक नया कानून एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग (प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2017 भी तैयार किया है।

➪ देश भर में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक दो साल बाद इन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। यह कार्ड भूमि की उर्वरता की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा और मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह देगा। 25 जून, 2018 तक 15. 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

➪ परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार जैविक कृषि और जैविक उत्पादों के लिए संभावित विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

➪ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ‘हर खेत को पानी’ के लिए सिंचाई कवरेज में विस्तार के उद्देश्य के साथ लागू किया गया है। इसके तहत ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ के उद्देश्य के साथ जल के उपयोग की कुशलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्रोत के सृजन, वितरण, प्रबंधन एवं विस्तार संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए आद्योपांत समाधान उपलब्ध कराया जा रहा है।

➪ सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दलहन जैसे फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

➪ समर्पित ऑनलाइन इंटरफेस ई - कृषि संवाद किसानों की समस्या के लिए प्रत्यक्ष एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध करा रहा है।

➪ सरकार किसान उत्पादक संगठन तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। बजट 2018 - 19 के तहत किसान उत्पादक संगठनों को अनुकूल कराधान उपलब्ध कराया गया है ताकि किसानों को इनपुट जरूरतों, कृषि सेवाओं, प्रसंस्करण एवं बिक्री परिचालन में मदद मिल सके।

➪ सरकार ने दालों का एक बफर स्टॉक भी तैयार किया है और मूल्य स्थिरीकरण फंड (पीएसएफ) के तहत दालों घरेलू खरीदारी भी कर रही है खासकर उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टि से बजट 2018 - 19 में संकेत दिया गया था कि केवल एमएसपी में वृद्धि पर्याप्त नहीं है बल्कि किसानों को घोषित एमएसपी का पूरा फायदा मिलना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि कृषि उत्पादों का मूल्य घोषित एमएसपी से कम होगा तो सरकार को एमएसपी दर पर खरीदारी करनी चाहिए अथवा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें घोषित एमएसपी मिल सके। केंद्र एवं राज्य सरकारों से परामर्श के साथ नीति आयोग इसके लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करेगा ताकि किसानों को उनकी उपज का उपयुक्त मूल्य मिल सके।

➪ महिला किसानों के लिए पुस्तिका - फार्म वुमेन फ्रैंडली हैंड बुक - में विशेष प्रावधानों एवं पैकेज सहायता की जानकारी दी गई है। महिला किसान कृषि विभाग की विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं का फायदा उठा सकती हैं।

➪ इस सब उपायों के साथ सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।

पसूका

# प्रदेश का समग्र विकास सरकार का एकमात्र लक्ष्य:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** प्रदेश सरकार बिना किसी राजनीति द्वेष व प्रतिशोध के राज्य समग्र विकास के एकमात्र लक्ष्य पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार 'सबका विकास सबका साथ' पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ज्वालामुखी विश्राम गृह में पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में राज्य भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए ज्वालामुखी गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता प्रदेश सरकार के केन्द्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय को बर्दाशत नही कर पा रहे हैं और आधारहीन वक्तव्य जारी कर रहे हैं। उन्होने कहा कि परन्तु प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से 4365 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना को स्वीकृत करवाने में सफल रही है। उन्होने कहा कि जिसमें पर्यटन के लिए 1900 करोड़, बागवानी के लिए 1680 करोड़ तथा सिंचाई एंव जन स्वाथ्य के लिए 800 करोड़ शामिल है। उन्होने कहा कि यह राज्य सरकार की प्रदेश के कल्याण के लिए वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार का चार वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा है। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश के 12 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए 14 मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उदारता तथा प्रदेश के लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होने कहा कि हिमाचली टोपी, हिमाचल की संस्कृति का गौरव है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अपने संकुचित हितों के कारण लोगों को टोपी के रंग के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। उन्होने कहा कि वे राजनीतिक द्वेष व प्रतिशोध के विरूद्ध है। उन्होने कहा कि प्रदेश का विकास व प्रगति सुनिश्चित करना राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया गया जनमंच कार्यक्रम लोगों की शिकायतों का उनके घर-द्वार के निकट निवारण सुनिश्चित करने के लिए आरम्भ किया गया है। उन्होने कहा कि विपक्ष के नेता यह दावा कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा आरम्भ किए जा रही सभी विकासात्मक परियोजनाएं उनके स्वप्न थे। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से जानना चाहा कि इन योजनाओं को आरम्भ करने के लिए उन्हें किसने रोका था तथा कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार स्वप्नों पर नही बल्कि कार्य करने पर विश्वास रखती है। उन्होने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने छोटे से छः माह के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी परिवारों को गैस कनैक्शन सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की है। उन्होने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश के प्रमुख मंदिरों से एकत्रित चढ़ावे की धनराशि तक का दुरूपयोग किया, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंदिरों से चढ़ावे का 15 प्रतिशत गौसदनों के निर्माण व रख-रखाव पर खर्च करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिस पर अब कुछ नेता बहुत हो-हल्ला कर रहे हैं। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को पर्यटकों की सुविधा के लिए सप्ताह के तीन दिन हेलीटैक्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने केन्द्र से राज्य में हवाई अड्डे के निर्माण का मामला उठाया है, जिसके लिए भूमि चयनित कर दी गई है और मण्डी जिला में शीघ्र ही हवाई अड्डे का निर्माण कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया। सरकार के पहले बजट में 30 नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया जो अपने आप में रिकॉर्ड है और विपक्षी दलों ने भी बजट की सराहना की।

# करसोग क्षेत्र के लिए 45 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजना

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुराग में 67.48 लाख रुपये की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करसोग क्षेत्र के लिए ब्रिक्स के तहत 45 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश का ज्ञान हब बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुराग के छत के लिए पांच लाख रुपये की घोषणा की तथा कहा कि चुराग के लिए सड़क का सही प्रकार से रख-रखाव सुनिश्चित बनाया जाएगा।

चुराग भाजपा मंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 31 हजार रुपये का चैक भेंट किया।

विधायक हीरा लाल ने इस अवसर पर क्षेत्र की विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। सांसद राम स्वरूप शर्मा, सिचांई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह, विधायक जवाहर ठाकुर तथा इन्द्र सिंह गांधी, उपायुक्त रूगवेद ठाकुर भी इस अवसर अन्यों सहित उपस्थित थे।

# छोटे दुकानदारों के हित में नीति बनाये सरकार : एफआरएआई

**शिमला/शैल।** फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआरएआई) ने रोजाना इस्तेमाल होने वाली विभिन्न वस्तुएं जैसे ब्रेड, अंडा, जूस सॉफ्ट ड्रिंक, वेफर्स आदि बेचने वाली दुकानों पर कारोबार सीमित करने या बेचे जाने वाले उत्पादों पर पाबंदी लगाने तथा दुकान के अंदर विज्ञापन नियंत्रित करने के कदम पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुये मुख्यमन्त्री से 1.5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खुदरा दुकानदारों के हितों की रक्षा की अपील

की है। एफआरएआई के सदस्यों ने कहा कि विदेश से वित्त पोषित एनजीओ भ्रमित जानकारियों वाला अभियान चलाकर सरकार पर छोटे दुकानदारों के हितों के खिलाफ नीति बनाने का दवाब बना रही है। एसोसिएशन ने ऐसे एनजीओ की मुख्यमन्त्री से जांच करने की अपील की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का सुझाव जिससे छोटे दुकानदारो द्वारा एक ही दुकान पर वैध उत्पादों (तम्बाकू और नॉन टबैको उत्पादों) की बिक्री के अधिकार पर पाबंदी लगाता है तो समाज का यह गरीब तबका उत्पीड़न का शिकार होगा। छोटे दुकानदारों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियां लाने की बजाय सरकार विपरीत नीतियों की ओर कदम बढ़ा रही है।

छोटे दुकानदार बिस्किट, कन्फेक्शनरी, जूस सॉफ्ट ड्रिंक, शैंपू सैशे, खाने के मसाले, कॉफी सैशे छोटे साबून, स्नैक्स, पान, सिगरेट और बीड़ी आदि जैसे रोजाना इस्तेमाल के उत्पाद बेचकर बमुश्किल अपनी आजीविका चलाते हैं खुद को बचाये रखने के लिये सभी उत्पादों की बिक्री जरूरी होती है। किसी भी उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध से उनकी आय में कमी आयेगी और उनके लिये जीवन यापन मुश्किल हो जायेगा। यह स्थिति लोगों को अवैध गतिविधियों की ओर ले जाने का कारण बनेगी। जिससे समाज भ्रष्ट और विवेकहीन होगा। जो उन्हें ऐसे आपराधिक तत्वों से सौदा करने पर मजबूर करेगा जो अवैध कारोबार संचालित करते है आगे चलकर इससे कानून और व्यवस्था को लेकर बड़ी समस्या पैदा होगी।

# एमबीबीएस डाक्टरों के 200 तथा स्टाफ नर्सों के 714 पद भरे जायेंगे

**शिमला/शैल।** मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर एमबीबीएस चिकित्सकों के 200 पद भरने तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्टाफ नर्सों के 714 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति

प्रदान की। इस निर्णय से स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों तथा स्टाफ नर्सों की कमी दूर होने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर यहां मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमण्डल ने एपीएल राशनकार्ड धारकों को प्रदान की जा रही चीनी का मूल्य 29 रुपये प्रति किलो से घटाकर 24 रुपये प्रति किलो तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थियों को 18 रुपये प्रति किलो से घटाकर 13 रुपये प्रति किलो करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत आम तथा सेब फलों के प्रापण के लिए समर्थन मूल्य लागू करने को भी मंजूरी दी। निर्णय के तहत आम तथा सेब का प्रापण मूल्य वर्तमान दरों से 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया।

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमण्डल ने प्रोत्साहन सहायता, छूट तथा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक इकाई सुविधाएं 2011 से सम्बन्धित नियमों में आवश्यक संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के पांगी में मैसर्ज अपोलो हॉस्पिटलज इन्टरप्राइजिज लिमिटेड के माध्यम से टैली-मेडिसन सेवाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले के पावंटा साहिब तथा ऊना जिले के अम्ब में पदों के सृजन सहित नगर नियोजन कार्यालय खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने नगर नियोजन कार्यालय मनाली को आवश्यक स्टाफ के सृजन व भरने सहित उप-मण्डलीय नगर नियोजन कार्यालय में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी।

बैठक में मण्डी जिला के राजकीय महाविद्यालय सराज (लम्बाथाच) में विज्ञान संकाय (मेडिकल व नॉन मेडिकल) की कक्षाओं को आवश्यक पदों के सृजन सहित शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पारदर्शिता लाने तथा लोगों की सुविधा के लिए सामान्य सेवाएं केन्द्र योजना-विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में आधार आधारित नकदी रहित लेन-देन के लिए डिजीपे प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले के थुनाग और करसोग की तर्ज पर कुल्लू जिले के बंजार में आवश्यक पदों के सृजन एवं वाहन सहित अग्निशमन चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ ड्राफ्टसमैन के 6 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति भी प्रदान की।

# सीता राम भारद्वाज ने समर्थकों सहित थामा भाजपा का दामन

**शिमला/शैल।** हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के चार सालों में चार पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जबकि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया था। मैहरे विश्रामगृह में सम्मिलित समारोह में सीता राम भारद्वाज ने सैंकड़ों समर्थकों सहित भाजपा का दामन थामा। सांसद अनुराग ठाकुर ने सीता राम भारद्वाज को हार, पगड़ी, पटका पहनाकर उन्हें भाजपा में शामिल किया। सीता राम भारद्वाज के पार्टी में शामिल होने से विस क्षेत्र में भाजपा मजबूत हो गई है। सीता राम भारद्वाज कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव रह चुके हैं तथा विधानसभा चुनावों में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। चुनावों में पूर्व विधायक बलदेव शर्मा को मात्र 339 मतों से हार सहनी पड़ी थी। लेकिन लोक सभा चुनावों से पहले सांसद अनुराग ठाकुर ने सीता राम को जोड़कर अपनी तुरूप चाल चल दी है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर भारत में पहला संसदीय क्षेत्र है जिसके सभी जिलों बिलासपुर में एमस अस्पताल, हमीरपुर में मैडीकल कॉलेज, उना में पीजीआई सैटैलाइट सेंटर, आईआईआईटी संस्थान तथा देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय सुविधा इन चार वर्षों में मिली है। संसदीय क्षेत्र के युवाओं के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए सांसद स्वास्थ्य मोबाइल सेवा शुरू की है। इससे लोगों का स्वास्थ्य का घर द्वार जाकर निःशुल्क जांच की जा रही है। उन्होंने बड़सर में जुलाई माह से ही स्वास्थ्य मोबाइल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने किसानों की समस्या के स्थाई समाधान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुणा बढाकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी सीता राम भारद्वाज का स्वागत किया है।

# मुख्यमंत्री ने हिमाचल की नदियों से उत्पन्न विद्युत पर केन्द्र से मांगी रॉयल्टी

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों से उत्पादित विद्युत पर प्रदेश को रॉयल्टी प्रदान करने का आग्रह किया क्योंकि अन्य राज्यों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के लिए रॉयल्टी प्रदान की जा रही है तथा प्रदेश में बहने वाली नदियां राज्य की प्राकृतिक संसाधन है। उन्होंने कहा कि हालांकि भाखड़ा बांध व पौंग बांध जैसी प्रमुख बिजली परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश की भूमि पर स्थित हैं परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन परियोजनाओं से मुआवजे के रूप में मिलने वाले वैधानिक हिस्से से प्रदेश को वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण राज्य में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और अभी भी पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को बीबीएमबी परियोजनाओं से भी अपने हिस्से से वंचित रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 1988 में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला प्रदेश है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य ने समुद्र तल से 15,124 की ऊंचाई पर स्थित सबसे अधिक ऊंचाई वाले कोमिक गांव को बिजली पहुंचाने का भी गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य लोगों के सामाजिक – आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के अलावा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म और छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने इन प्रयासों के लिए केन्द्र से विशेष अनुदान और उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने

का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 27 हजार मैगावाट बिजली उत्पादन क्षमता में से मात्र 10547 मैगावाट का ही दोहन हो पाया है, इसका मुख्य कारण राज्य में सीमित संसाधन की उपलब्धता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल केन्द्र सरकार की उदय योजना के कार्यान्वयन में देशभर में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते, आईपीडीएस और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने का आग्रह किया ताकि इन योजनाओं का लाभ राज्य के अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य केवल पर्यावरण मित्र विद्युत उत्पादन कर रहा है और प्रदेश में ताप विद्युत उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपयोग में लाई जा रही 90 ऊर्जा पर्यावरण मित्र है और प्रदेश शत प्रतिशत उपभोक्ताओं को पर्यावरण मित्र बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन और विद्युत उत्पादन की अहम भूमिका है और राज्य सरकार अब जल विद्युत क्षेत्र व पर्यटन के साथ मिलकर प्रदेश में हाईड्रो पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है ताकि दोनों क्षेत्रों को राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से राज्य सरकार की इस पहल में केन्द्र, संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों और बीबीएमबी में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऊर्जा नीति को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए ऊर्जा नीति में कुछ संशोधन किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बिजली क्षेत्र में निवेशकों को पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ अपनी विद्युत परियोजनाओं को आसानी से कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से सभी जल विद्युत परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा के अधीन लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा उत्तरदायित्व प्रावधानों की तरह जल विद्युत उत्तरदायित्व प्रावधान भी बनाए जाने चाहिए और इसके लिए अलग से निविदा दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मध्यावधि ऊर्जा खरीद के लिए बनाए गए निविदा दस्तावेज केवल थर्मल ऊर्जा खरीद के लिए ही व्यवहारिक है तथा जल विद्युत के लिए यह प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से सौर ऊर्जा की तरह जल विद्युत को भी व्हीलिंग चार्जिज से मुक्त करने का आग्रह किया।

केन्द्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री आर. के. सिंह ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा एक मुख्य क्षेत्र है जो प्रदेश व राष्ट्र की समृधि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार 31 मार्च, 2019 तक देश के सभी घरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह कठिन कार्य है और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति व लगन से निर्धारित लक्ष्य को समयावधि में पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आरके सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार विद्युत क्षेत्र में आवश्यक सुधार करेगी ताकि राज्य के दूर – दराज क्षेत्रों में विद्युत कनैक्शन प्रदान किए जा सकें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में केन्द्र के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के लिए उदारता से सहायता प्रदान करवाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ट्रांसफार्मर, एलटी, एचटी लाईनों तथा उपकेन्द्रों इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि तीन वर्षों के भीतर प्रीपेड शुल्क सुविधा वाले स्मार्ट मीटर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिस पर मानव श्रम शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी बल्कि विद्युत नुकसान भी कम किया जा सकेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार निर्धारित समय में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य तथा उसकी टीम को प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।

भारत सरकार के ऊर्जा सचिव ए. के. भल्ला ने सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न पगों की विस्तृत जानकारी दी।

अरूणाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री टामियो टागा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कृष्ण लाल पवार, झारखंड के ऊर्जा मंत्री सीपी सिंह, केरल के ऊर्जा मंत्री एम.एम. मनी, उड़ीसा के ऊर्जा मंत्री सुशान्त सिंह, पश्चिम बंगाल के ऊर्जा मंत्री शोभन देव चटोपाध्याय, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन, हिमाचल के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, भारत सरकार के नव एवं नवीकरण ऊर्जा सचिव आनन्द कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरूण कपूर, एसजेवीएनएल के प्रबन्ध निदेशक नन्द लाल शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

# प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बारे किसानों को जागरूक करें अधिकारी–विवेक चंदेल

**शिमला/शैल।** कार्यकारी उपायुक्त सोलन विवेक चंदेल ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। विवेक चंदेल यहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

विवेक चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सोलन जिले में मक्का, धान तथा टमाटर की फसलों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना किसानों के लिए विशेष रूप से तभी लाभदायक सिद्ध हो सकती है यदि किसानों को योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जाए।

कार्यकारी उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सफल बनाने के लिए लोकमित्र केंद्रों का सहयोग लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने के लिए कृषि विभाग को लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना चाहिए। उन्होंने गैर ऋणी किसानों को फसल बीमा योजना के साथ जोड़ने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मक्का व धान की फसल के लिए अधिकतम बीमा राशि 30 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर है। भारत सरकार की यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ – 2018 में लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर व सोलन जिलों में योजना को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटिड (एआईसी) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

बैठक में जानकारी दी गई कि योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों की बीमा कवरेज को भारत सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in पर दर्ज करना अनिवार्य है। इसके बिना बीमा कवरेज स्वीकार्य नहीं होगा।

बैठक में अवगत करवाया गया कि अधिसूचित क्षेत्रों में मक्का, धान व टमाटर की फसल उगाने वाले सभी किसान बीमा कवर का लाभ उठाने के पात्र हैं। सभी ऋणी किसान ऋण वितरण करने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनिवार्य रूप से योजना के तहत स्वत: ही कवर होते हैं। सभी अऋणी किसान अपनी इच्छा से अपनी बैंक शाखा, अधिकृत मध्यस्थ, ग्राहक सेवा केंद्र अथवा पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई 2018 तक बीमा करवा सकते हैं।

उपनिदेशक कृषि डॉ. रामनाथ ठाकुर ने बैठक में जानकारी दी कि सोलन जिले में फसल बीमा की प्रीमियम दर मक्की तथा धान के लिए 48 रुपये प्रति बीघा तथा टमाटर के लिए 400 रुपये प्रति बीघा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को योजना के बारे में जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा 172 जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2017 – 18 में खरीफ – 2017 के तहत लगभग 8974 किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया। इस अवधि में रबी मौसम में 4669 किसानों ने फसल का बीमा करवाया।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी कृषि विभाग के सोलन स्थित उपनिदेशक कार्यालय अथवा नि:शुल्क सहायता सेवा नंबर 1800 – 103 – 0061 से प्राप्त की जा सकती है।

बैठक में जिला राजस्व अधिकारी आरडी हरनोट, जिला कृषि अधिकारी आरआर कौशल, नाबार्ड के डीडीएम रविंद्र सिंह, जिला के अग्रणी बैंक यूको बैंक के प्रबंधक जेपी नेगी, एआईसी कंपनी के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

# ऊना आयुर्वेदिक अस्पताल में मेडिकल कैम्प में निशुल्क ब्रेस्ट कैंसर की जाँच

**शिमला/शैल।** हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी को बढ़ते देखते हुए ऊना के आयुर्वेदिक अस्पताल में लगे मेडिकल कैम्प में विदेश से आयातित ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मशीन द्वारा इस कैंसर की मुफ्त प्रारम्भिक जाँच सुविधा उपलब्ध करवाई है।

इसके बारे में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा आज पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर एक जानलेवा बीमारी के रूप में अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है, और हम भी इस से अछूते नही हैं। साल 2012 में सिर्फ भारत में ही 70 हज़ार महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के चलते अपनी जान गँवानी पड़ी। सिर्फ हमारे देश में 2020 तक ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों की संख्या बढ़कर 17 लाख तक होने की उम्मीद है। ब्रेस्ट कैंसर की जाँच में लगने वाला समय ही इस बीमारी के बढ़ने का बड़ा कारण है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विदेश से ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिग मशीन मुफ्त जाँच के लिये मंगवाई है। सांसद मोबाइल स्वास्थ सेवा के मोबाइल मेडिकल यूनिट अस्पताल में महिला अटेंडेट द्वारा इस ब्रेस्ट कैंसर मशीन से अत्याधुनिक तरीके से प्रारंभिक जाँच की जा रही है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि समय रहते जाँच ना होने पर कई बार बीमारी का समय से पता नही चल पाता है और बीमारी जानलेवा साबित होती है। ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलायें ऊना आयुर्वेदिक अस्पताल में चलने वाले 2 दिवसीय मेडिकल कैम्प में निशुल्क ब्रेस्ट कैंसर की जाँच करवा सकती हैं। कैंसर लाइलाज बीमारी नही है बस सही समय पर इसकी जाँच और इलाज हो जाए तो इस से जंग जीतना सम्भव है। मेरा सभी माताओं और बहनों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच इस सुविधा का लाभ उठाएँ और अपनी खुशिहाली सुनिश्चित करें।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

# न्यू-शिमला प्रकरण का अन्त भी कसौली जैसा होने की संभावना बढ़ी

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1986 में शिमला के उपनगर न्यू शिमला में एक पूरी तरह स्व वित्त पोषित हाऊसिंग कालोनी बनाने बसाने की योजना बनायी थी। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिये साडा का गठन किया। साडा के माध्यम से इस कालोनी के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया और 83.84 लाख में जमीन खरीदी गयी जिसमें से 50315 वर्ग मीटर भूमि प्लाटों के लिये चिन्हित की गयी और शेष भूमि अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिये रखी गयी। इन अन्य आधारभूत सुविधाओं में सड़कें, पार्क, ग्रीन एरिया तथा पेयजल और सीवरेज आदि लाईनों का प्रावधान आदि शामिल था। इन्हीं सारी सुविधाओं के प्रावधानों के साथ इस योजना को विज्ञापित किया था और ईच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित किये थे। इस आवासीय कालोनी के निर्माण के लिये एक विस्तृत सैक्टरवाईज विकास योजना का प्रारूप विज्ञापित किया गया था।

सरकार/साडा द्वारा विज्ञापित इन सारी सुविधाओं के लिये किये गये अलग- अलग प्रावधानों से प्रभावित होकर ही लोगों ने यहां प्लाट/फ्लैट आदि खरीदने के लिये आवदेन किये। साडा ने जब प्लॉट एरिया की प्रतिवर्ग मीटर कीमत तय की तब उसमें पूरी जमीन की कीमत के साथ इन आधारभूत सुविधाओं सड़क, पार्क, ग्रीन एरिया और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर होने वाले खर्च को भी जमीन की कुल कीमत में जोड़ा। इस तरह जो जमीन मूलत: 83.84 लाख में खरीदी गयी थी उसमें 234.03 लाख आधारभूत सरंचनाओं के लिये 60 लाख सार्वजनिक बिजली लाईटों के लिये तथा 75.35 लाख इसकी निगरानी और लाभ आदि के चार्ज कर 83.84 लाख की जमीन की कीमत 457.22 लाख तक पंहुचा दी। फिर इसे जब 50315 वर्ग मीटर के प्लॉट एरिया पर विभाजित किया गया तो 457.22 लाख बढ़कर 910 लाख बन गया। इस तरह प्लॉट एरिया की कीमत 910 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर खरीददारों से वसूली गयी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कालोनी की एक-एक ईंच जमीन की सारी कीमत सारे खर्चो और लाभ सहित यहां के प्लॉट मालिकों से वसूली गयी है। इस नाते यहां की सड़के, पार्क, ग्रीन एरिया और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के मालिक यहां के निवासी है न की सरकार या उसके संबधित विभाग। इनकी भूमिका कानून के मुताबिक एक ट्रस्टी संचालक की ही रह जाती है बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि सरकारी तन्त्र ने जब 83.84 लाख खर्च करके 9 करोड़ 10 लाख वसूले हैं तो वह तो प्राईवेट बिल्डर से भी कई गुणा ज्यदा शोषक जैसा हो जाता है। कीमत वूसली की यह सारी जानकारी स्वयं हिमुडा ने उच्च न्यायालय में रखी है।

इस कालोनी का निर्माण विज्ञापित विकास प्रारूप के अनुसार होना चाहिये था। क्योंकि कालोनी को शुद्ध रूप से आवासीय कालोनी के नाम पर विज्ञापित और प्रचारित किया गया था इसके प्रारूप में व्यवसायिक गतिविधियों के लिये कोई स्थान चिन्हित नही किये गये थे। शुद्ध आवासीय चरित्र रखने के लिये ही यहां पर मूलत: अढ़ाई मंजिल के निर्माण की ही सीमा तय की गयी थी। लेकिन जब इसका वास्तविक निर्माण शुरू हुआ और लोगों को प्लाटों का आवंटन किया गया तब पूर्व विज्ञापित प्रचारित वकास प्रारूप को पूरी तरह नज़रअन्दाज कर दिया गया। विकास प्रारूप में जो स्थल पार्क, ग्रीन एरिया आदि के लिये मूलत: चिन्हित और निर्धारित थे वह इस समय व्यवहार में वैसे नहीं रह गये हैं। आवासीय कालोनी व्यवसायिक कालोनी की शक्ल ले चुकी है। लैण्डयूज़ पूरी तरह से बदल गया हैं बिना अनुमतियों के बदले गये लैण्डयूज़ का जब उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया तब संवद्ध प्रशासन ने जांच शुरू की और ऐसे सैंड़कों लोगो को उनके बिजली, पानी कनैक्शन काटने की नौबत आयी।

न्यू शिमला में विज्ञापित विकास प्रारूप को नज़रअन्दाज किये जाने की जानकारी जब बाहर आयी तब प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका CWP No. 10772 of 2012 दायर हुई थी। इस याचिका की सुनवायी के दौरान यह मूल प्रश्न उठा है कि मूल रूप से विज्ञापित विकास प्रारूप की अवहेलना कहां -2 और कैसी हुई है इसके लिये संवद्ध विभागों से उच्च न्यायालय ने विकास प्रारूप तलब किया था लेकिन यह प्रारूप अभी तक अदालत के सामने नही रखा जा सका है। न्यू शिमला के निवासियों की एक कल्याण सोसायटी भी बनी हुई है। पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने सरकार के महाधिवक्ता के माध्यम से संवद्ध विभागों को निर्देश दिया था कि वह इन निवासियों की कल्याण सोसायटी के साथ बैठक करके इसके सारे पक्षों पर विस्तार से चर्चा करें। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर हुई इस बैठक के बाद निवासियों की इस सोसायटी की शीर्ष कार्यकारणी ने 26.6.2018 को बैठक करके एक प्रस्ताव पारित करके महाधिवक्ता को देकर उनसे यह अनुरोध किया कि प्रस्ताव में चिन्हित किये गये बिन्दुओं को अदालत के माध्यम से हल करवाने का प्रयास करे। इस प्रस्ताव में प्रारूप के विरूद्ध हुई गतविधियों की एक विस्तृत सूची दी गयी है और मांग की गयी है कि प्रशासन के जिन लोगों के सामने यह अवहेलनाएं हुई हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करके कारवाई की जाये। सोसायटी ने एक पत्रकार वार्ता में इस प्रस्ताव को रखते हुए अवहेलनाओं के सनसनीखेज़ खुलासे किये है। आवासीय कालोनी में व्यवसायिक गतिविधियों की सीमा कहां तक जा पंहुची है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक रसूखदार पूर्वे नौकरशाह भवन मालिक को बिजली के एक ही भवन में सोलह कनैक्शन दिये गये हैं। उच्च न्यायालय ने यहां निर्माणों पर रोक लगा रखी है और इस रोक के बाद भी हिमुण्डा द्वारा सैक्टर चार के ग्रीन एरिया ब्लॉक 50 और 50 ए का निर्माण और बिक्री की गयी है। यही नही डीएवी स्कूल सैक्टर चार में भारी भरकम प्लाट दिया गया है जिसमें उनसे करीब 13 करोड़ रूपये प्लाट विकास के नही लिये गये हैं। जबकि बाकी सभी से यह चार्जिज लिये गये हैं। इसमें भारी घपला किये जाने की आशंका व्यक्त की गयी है। इसी तरह की स्थिति लॉईनज़ क्लब की भी कही जा रही है। सांसद निधि, विधायक निधि और अमृत योजना के नाम पर किये जा रहे खर्चो की वास्तविकता पर भी गंभीर प्रश्न लग रहे हैं। कुल मिलाकर न्यू शिमला में जिस तरह से विज्ञापित विकास प्रारूप को नज़रअन्दाज करके आवंटन और निर्माण हुए हैं उससे उच्च न्यायालय के सामने कई गंभीर कानूनी सवाल खड़े हो गये हैं। माना जा रहा कि कानून का शासन व्यवहारिक रूप से स्थापित करने के लिये उच्च न्यायालय कोई बड़ा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कसौली प्रकरण में किया है। क्योंकि सरकार के संज्ञान में यह सबकुछ लम्बे अरसे से चल रहा है लेकिन कोई कारवाई नही की गयी है।

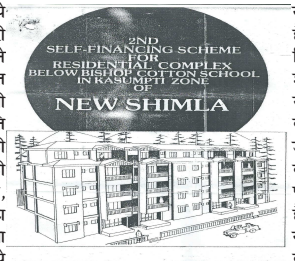

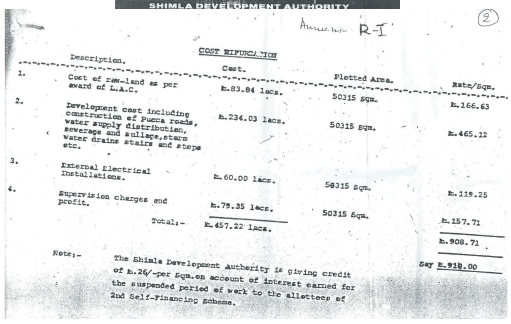




Annexure R-I (2)

COST BIFURCATION

| | Description. | Cost. | Plotted Area. | Rate/Sqm. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cost of raw-land as per award of L.A.C. | Rs.83.84 lacs. | 50315 sqm. | Rs.166.63 |
| 2. | Development cost including construction of Pucca roads, water supply distribution, sewerage and sullage, storm water drains stairs and steps etc. | Rs.234.03 lacs. | 50315 sqm. | Rs.465.12 |
| 3. | External Electrical Installations. | Rs.60.00 lacs. | 50315 sqm. | Rs.119.25 |
| 4. | Supervision charges and profit. | Rs.79.35 lacs. | 50315 Sqm. | Rs.157.71 |
| | Total;- | Rs.457.22 lacs. | | Rs.908.71 |
| | | | | Say Rs.910.00 |

Note;- The Shimla Development Authority is giving credit of Rs.26/-per Sqm.on account of interest earned for the suspended period of work to the allottees of 2nd Self-Financing Scheme.

# जब जिले की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख तो 25000 परिवार बीपीएल में क्यों

**शिमला/शैल।** प्रदेश के अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने पहली बार जिला स्तर के आर्थिक आंकड़े जारी किये हैं। इन आंकड़ो के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मानक पर सोलन पहले स्थान पर आता है। यहां प्रतिव्यक्ति आय 3,94,102 रूपये आयी है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रतिव्यक्ति आय मे सबसे अन्तिम स्थान पर आता है। यहां प्रतिव्यक्ति आय 86637 रूपये है। प्रतिव्यक्ति आय में बिलासपुर-1,25,958, चम्बा, 98006, हमीरपुर 102,217, कांगड़ा-86637, किन्नौर 2,17,993, कुल्लू 1,19,231, लाहौल स्पिति 1,92,292, मण्डी 96052, शिमला 1,52,230, सिरमौर 145597, सोलन, 3,94102 और ऊना की प्रतिव्यक्ति आय 1,00295 रूपये हैं। प्रदेश स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय का आंकड़ा 1,35,621 रूपये है। इसी क्रम में प्रदेश के चार जिलों सोलन, कांगड़ा, शिमला और मण्डी का प्रदेश के कुल जीडीपी में 62% योगदान रहा है।

इस आर्थिक आकलन का आधार वर्ष 2011-12 रहा है। 2011 के जनसंख्या सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश की कुल जनसंख्या 68.65 लाख रही है। प्रदेश में जनगणना के अनुसार 20690 गांव है जिनमें से 17,882 गांव ही आबाद हैं। इन गांवो में करीब 14 लाख परिवार हैं। आर्थिक आंकलन के इन आंकड़ो के अनुसार तो प्रदेशभर में कोई भी गरीब नही होना चाहिये क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय 1,35,621 रूपये है। लेकिन प्रदेश के ग्रामीण विकास एवम् पंचायत राज विभाग ने वर्ष 2011-12 में ही बीपीएल परिवारों को लेकर एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या सामान्य वर्ग से 2,82,370 और अनुसूचित जाति वर्ग से 95772 परिवार बीपीएल में शामिल हैं। सोलन जहां प्रतिव्यक्ति आय 3,94,102 रूपये हैं वहां पर सामान्य वर्ग से बीपीएल में 17478 और अनुसूचित जाति वर्ग से 83280 परिवार बीपीएल में हैं जबकि सोलन की जनसंख्या 5,80320 है। यह कुल 2,5,858 परिवार बनते है। यदि एक परिवार में औसत पांच व्यक्ति भी हों तो संख्या 1,25,290 हो जाती है जिसका मतलब है कि करीब हर पांचवां व्यक्ति सोलन में गरीब है। इसी तरह इन आंकड़ो के अनुसार प्रदेश की 23% जनसंख्या आज भी बीपीएल में आती है।

इसी के साथ यदि यह भी सामने रखा जाये कि इस विकास के लिये प्रदेश पर कर्ज का कितना बोझ पड़ा है। 2011-12 में प्रदेश का कर्जभार 26494.07 करोड़ था जो कि 31 मार्च 2017 को 46500 करोड़ हो गया है। बीपीएल के आंकड़े पंचायती राज विभाग के 2011- 12 के हैं। सांख्यिकी विभाग ने 2003 के आंकड़ों को ही गणना में लिया है। विकास के आंकड़ो से यह सवाल उठता है कि यदि सही में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,35000 से ऊपर हो चुकी है तो फिर बीपीएल का आंकड़ा अब तक समाप्त क्यों नही हो पाया है? प्रदेश में अनसचित जाति वर्ग के भी करीब एक लाख परिवार बीपीएल मे खड़े है जबकि इनके लिये अलग से कई विशेष योजनाएं लागू हैं। कई योजनाएं गरीबों के लिये अलग से चिन्हित हैं। यदि यह सारी योजनाएं ईमानदारी से लागू हो रही हैं तो फिर गरीबी की रेखा से नीचे का यह आंकड़ा कम क्यों नही हो रहा है।

प्रदेश का कर्जभार 2011- 12 से आज करीब दो गुणा बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है और जीडीपी भी बढ़ रहा है लेकिन इसके बावजूद न तो कर्ज कम हो रहा है और न ही बीपीएल का आंकड़ा। इससे यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या हमारा सारा योजना प्रबन्धन ही दोषपूर्ण है। क्या हमारी भविष्य का आकलन करने की क्षमता समाप्त हो गयी है या जानबूझ कर इस ओर से ऑखे बन्द कर ली गयी है। यदि समय रहते इस दिशा में चिन्ता और चिन्तन न किया गया तो स्थिति भयानक हो जायेगी।

District wise number of SC BPL Families for the 10th five year plan in respect of Rural Area of Himachal Pradesh.

| Sr. No. | Name of District | Total No. of BPL Families | No. of SC BPL Families |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilaspur | 17337 | 6592 |
| 2. | Chamba | 46393 | 11086 |
| 3. | Hamirpur | 19514 | 7102 |
| 4. | Kangra | 63250 | 18552 |
| 5. | Kinnaur | 2824 | 1429 |
| 6. | Kullu | 11267 | 5401 |
| 7. | Lahoul Spiti | 2400 | 238 |
| 8. | Mandi | 41339 | 14304 |
| 9. | Shimla | 31682 | 12815 |
| 10. | Sirmour | 13695 | 5050 |
| 11. | Solan | 17478 | 8380 |
| 12. | Una | 15191 | 4823 |
| | Total | 282370 | 95772 |

**RURAL-URBAN POPULATION - 2011 CENSUS**

| District | Total |
|---|---|
| BIlaspur | 381956 |
| Chamba | 519080 |
| Hamirpur | 454768 |
| Kangra | 1510075 |
| Kinnaur | 84121 |
| Kullu | 437903 |
| L-Spiti | 31564 |
| Mandi | 999777 |
| Shimla | 814010 |
| Sirmour | 529855 |
| Solan | 580320 |
| Una | 521173 |
| **H.P.** | **6864602** |